

पटना उच्च न्यायालय की अधिकारिता में
आपराधिक विविध वाद संख्या- 24763/2016

थाना कांड संख्या-87 वर्ष-2013 थाना-भोजपुर शिकायत मामला जिला-भोजपुर

=====

आशा पांडे पति दामोदर पांडे निवासी गाँव सबलपुर थाना बारहरा जिला भोजपुर वर्तमान में सदर अस्पताल आरा, थाना आरा नगर जिला भोजपुर अपूर्वा अपार्टमेंट के सामने।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम्

1. बिहार राज्य
2. निधि पांडे पति स्वर्गीय उदय शंकर पांडे गाँव सबलपू, थाना बरहरा, जिला भोजपुर के निवासी हैं।

... .. विपरीत पक्ष/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री उदय कुमार,अधिवक्ता
विरोधी पक्ष/दलों के अधिवक्ता	:	श्री टी. एन. ठाकुर, अपर लोक अभियोजक
विपक्षी संख्या 2 के लिए	:	श्री अजीत कुमार,अधिवक्ता

=====

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482---धारा 419, 504 और 385/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लेने के आदेश को रद्द करने के लिए याचिका---भूमि के सह-हिस्सेदारों के बीच किराया विवाद---यह दलील कि वर्तमान आपराधिक मामला सिविल विवाद के कारण दर्ज किया गया था और केवल इसी आधार पर, यह रद्द किए जाने योग्य उपयुक्त मामला है---निर्णय दिया गया: वर्तमान आपराधिक मामला पूरी तरह से मेसर्स एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त किराया संबंधी विवाद के कारण दर्ज किया गया था, जिसमें बगल के भूखंड के धारक होने के कारण अप्रत्यक्ष और गुप्त उद्देश्य से परेशान करने का कारण था, जबकि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने कंपनी के खिलाफ संज्ञान भी नहीं लिया---सभी परिणामी कार्यवाही के साथ संज्ञान के विवादित आदेश को रद्द किया गया। (पैरा 2, 5, 9)

(2023) एससीसी ऑनलाइन एससी 90पर भरोसा किया गया।

=====

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री चंद्र शेखर झा
मौखिक निर्णय

तारीख: 15-04-2024

याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और उत्तरदाताओं के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. वर्तमान याचिका को 2013 के शिकायत मामला संख्या 87(सी), परीक्षण संख्या 13/15 में पारित दिनांक 03.06.2014 के आदेश को रद्द करने के लिए दी गई है, जहां विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी भोजपुर, आरा ने याचिकाकर्ता के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (संक्षेप में आईपीसी) की धारा 419, 504 और 385/34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया है।

3. विपक्षी संख्या 2 वर्तमान कार्यवाही में शामिल हुए।

4. शिकायत याचिका से यह प्रतीत होता है कि निधि पांडे पति स्वर्गीय उदय शंकर पांडे गाँव सबलपुर थाना बरहरा जिला भोजपुर ने 17.01.2013 को जाने-माने मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, आरा, भोजपुर के समक्ष शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसने खाता संख्या 706, खेसरा नं. 4224, रकवा 2 ¼ वाली भूमि 01.10.1991 को खरीदी जो उसके पति के नाम पर पंजीकृत है एवं बिक्री विलेख में रकवा 2 ¼ कठ्ठा उसी भूखंड में उसके नाम और उसके पति के नाम पर है। उसी दिन आरोपी दामोदर पांडे ने भी अपने नाम पर 2 ¼ कठ्ठा भूमि और उक्त भूखंड में अपनी पत्नी के नाम पर 2 ¼ कठ्ठा भूमि खरीदी। उन्होंने आगे कहा कि दामोदर पांडे उनके पति के पूर्ण रक्त-भाई हैं, अर्थात् उदय शंकर पांडे और आशा पांडे उनकी पत्नी हैं क्योंकि शिकायतकर्ता और उनके पति के नाम पर कुल 4 ½ कठ्ठा और दामोदर पांडे और आशा पांडे के नाम पर 4 ½ कठ्ठा है। तदनुसार, कथित भूमि अपने नाम और अपने पति के नाम है और वह सरकारी राजस्व का भुगतान करती है। अभियुक्त नं. 1 और 2 ने अपनी भूमि पर कुल 4 ½ कठ्ठा क्षेत्र में घर बनाए हैं। यह आगे कहा गया है कि शिकायतकर्ता के पति उदय शंकर पांडे भारतीय रेलवे में एक बुकिंग क्लर्क थे, जिनकी मृत्यु 12.08.1999 को हुई है और उसके बाद शिकायतकर्ता को अनुकंपा के आधार पर पार्सल क्लर्क के रूप में नियुक्त किया गया और राजेंद्र नगर टर्मिनल पर

तैनात किया गया। जमीन का पूरा कागज दामोदर पांडे के कब्जे में है, जिसने अपने भूमि क्षेत्र 4 ½ कठ्ठा पर कब्जा करने के उद्देश्य से आपराधिक साजिश रचनी शुरू कर दी और उसके दरवाजे को बंद कर दिया। अभियुक्त व्यक्तियों ने उनकी भूमि में मेसर्स एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड का मोबाइल टावर अवैध रूप से स्थापित किया है क्योंकि दामोदर पांडे और उनकी पत्नी आशा पांडे किराया ले रहे हैं और उन्होंने कथित भूखंड पर उनके पति द्वारा बनाए गए उनके घर पर भी कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ता अपनी दो बेटियों के साथ पटना में रह रही है और उक्त आरोपी संख्या (1-2) फायदा उठा रही है। शिकायतकर्ता ने आरोपी व्यक्तियों को कानूनी नोटिस भेजा और दिनांक 19.08.2012 को एस.पी. भोजपुर को विस्तृत आवेदन भी दिया, जो फलदायी नहीं रहा। दिनांक 17.01.2013 को 10:00 बजे शिकायतकर्ता गवाहों के साथ दामोदर पांडे के घर गई और उनसे अनुरोध किया कि वे उसे परेशान न करें।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान आपराधिक मामला दीवानी विवादों से दर्ज किया गया था और केवल इसी आधार पर, यह रद्द किया जाने वाला एक उपयुक्त मामला है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विभाजन विवादित नहीं है, बल्कि आरोप विपक्षी संख्या 2 के भूमि हिस्से में मोबाइल टावर स्थापित करने के लिए मेसर्स एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त किराए को ठीक से वितरित नहीं करने का है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि बिक्री विलेख याचिकाकर्ता और विपक्षी संख्या 2 के अनुसार 9 कठ्ठा की कुल भूमि में से 4 ½ कठ्ठा भूमि के स्वामित्व धारक और सह-हिस्सेदार हैं। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मेसर्स एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड को भी वर्तमान शिकायत याचिका के माध्यम से पक्षकार बनाया गया था, लेकिन रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखने के बाद अदालत ने कंपनी के खिलाफ संज्ञान नहीं लिया, प्रथम दृष्टया, मोबाइल टावर से किराया वसूलने के संबंध में उसके चेहरे पर झूठा आरोप लगाते हुए। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत याचिका में कुछ भी स्पष्ट नहीं दिखाई देता है, जो, प्रथम दृष्टया, यह सुझाव दे सकता है कि याचिकाकर्ता का उद्देश्य विपक्षी संख्या 2 को धोखा देना था, शुरुआत से ही, जहां वर्तमान आपराधिक मामला केवल इस कारण से दर्ज किया गया था कि वह उक्त भूमि की सह-हिस्सेदारों में से एक है।

6. तर्क का समापन करते हुए विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय की कानूनी रिपोर्ट का उल्लेख किया **उषा चक्रवर्ती और एक अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और एक अन्य** के मामले में अदालत, जैसा कि (2023) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 90 में बताया गया है।

7. विपक्षी संख्या 2 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा विधिवत सहायता प्राप्त विद्वान अपर लोक अभियोजक ने रद्द करने के आवेदन का विरोध करते हुए प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में मुख्य मुद्दा किराया विवाद है।

8. उक्त कानूनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा अनुच्छेद संख्या(ओं) 6, 7, 8, 9 और 10 के माध्यम से सूचित किया गया **उषा चक्रवर्ती मामला (उपर्युक्त)**, जो इस प्रकार है, इसके अंतर्गत:

6. परमजीत बत्रा बनाम स्टेट ऑफ उत्तराखंड, न्यायालय ने निर्णय दिया:—

“12. उच्च न्यायालय की संहिता की धारा 482 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय सतर्क रहना होगा। इस शक्ति का उपयोग संयम से और केवल किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के उद्देश्य से या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जाना है। शिकायत किसी आपराधिक अपराध का खुलासा करती है या नहीं, यह उसमें आरोपित तथ्यों की प्रकृति पर निर्भर करता है। आपराधिक अपराध के आवश्यक तत्व मौजूद हैं या नहीं, इसका निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। दीवानी लेन-देन का खुलासा करने वाली शिकायत में आपराधिक बनावट भी हो सकती है। लेकिन उच्च न्यायालय को यह देखना चाहिए कि क्या एक विवाद जो अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है, उसे आपराधिक अपराध का आवरण दिया जाता है। ऐसी स्थिति में, यदि कोई नागरिक उपचार उपलब्ध है और वास्तव में, अपनाया गया है जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो उच्च न्यायालय को अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ”

7. वेसा होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम केरल राज्य
में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि:

“13. यह सच है कि तथ्यों का एक सेट एक दीवानी गलती के साथ-साथ एक आपराधिक अपराध भी बना सकता है और केवल इसलिए कि शिकायतकर्ता के लिए एक दीवानी उपचार उपलब्ध हो सकता है जो स्वयं एक आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने का आधार नहीं हो सकता है। वास्तविक परीक्षा यह है कि क्या शिकायत में लगाए गए आरोप धोखाधड़ी के आपराधिक अपराध का खुलासा करते हैं या नहीं। वर्तमान मामले में यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि शुरुआत में ही आरोपी व्यक्तियों की ओर से धोखाधड़ी करने का कोई इरादा था जो भा. द. सं. की धारा 420 के तहत अपराध के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। हमारे विचार में शिकायत किसी भी आपराधिक अपराध का खुलासा नहीं करती है। आपराधिक कार्यवाही को तब प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब यह दुर्भावनापूर्ण या अन्यथा अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग पाया जाता है। उच्च न्यायालयों को इस शक्ति का प्रयोग करते हुए न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने का भी प्रयास करना चाहिए। हमारी राय में इन तथ्यों को देखते हुए पुलिस जांच जारी रखने की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा और उच्च न्यायालय ने कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग करने से इनकार करने में त्रुटि की। ”

8. कपिल अग्रवाल बनाम संजय शर्मा, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 482 यह सुनिश्चित करने के लिए की आपराधिक कार्यवाही को उत्पीड़न के हथियारों में बदलने की अनुमति नहीं देने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाई गई है।

9. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल के निर्णय में दो न्यायाधीशों की इस न्यायालय की पीठ ने वैधानिक

प्रावधानों के साथ-साथ पहले के निर्णयों पर भी विचार किया और निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:—

(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके अंकित मूल्य पर लिया गया हो और उन्हें पूरी तरह से स्वीकार किया गया हो, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के अलावा संहिता की धारा 156 (1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए अनियंत्रित आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला बनाते हैं।

(4) जहाँ, एफ. आई. आर. में आरोप एक संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध हैं। संहिता की धारा 155 (2) के तहत मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं है।

(5) जहाँ एफ. आई. आर. या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही शुरू करने और जारी रखने पर

स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है।

(7) जहां आपराधिक कार्यवाही में स्पष्ट रूप से दुर्भावना हो और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की गई हो।

10. निहारिका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बनाम. महाराष्ट्र राज्य में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कानून के निम्नलिखित सिद्धांतों को निर्धारित किया:

“57. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों से, **ख्वाजा नजीर अहमद (उपर्युक्त)** के मामले में प्रिवी काउंसिल के निर्णय से निम्नलिखित कानून के सिद्धांत उभरते हैं:

i) पुलिस को दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय XIV में निहित प्रासंगिक प्रावधानों के तहत संज्ञेय अपराधों की जांच करने का वैधानिक अधिकार और कर्तव्य है;

ii) न्यायालय संज्ञेय अपराधों की किसी भी जांच को विफल नहीं करेंगे।

iii) हालांकि, ऐसे मामलों में जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में किसी भी संज्ञेय अपराध या किसी भी प्रकार के अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, न्यायालय जांच जारी रखने की अनुमति नहीं देगा।

iv) रद्द करने की शक्ति का प्रयोग 'दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों' में सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। (धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत रद्द करने के लिए अपने आवेदन में दुर्लभतम मामले मानक हैं। विपक्षी को उस मानदंड के साथ भ्रमित नहीं होना

चाहिए जो मृत्युदंड के संदर्भ में तैयार किया गया है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा पहले समझाया गया है।

v) एक प्राथमिकी/शिकायत की जांच करते समय, जिसे रद्द करने की मांग की जाती है, अदालत में लगाए गए आरोपों की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के रूप में जांच शुरू नहीं कर सकती है।
एफ. आई. आर./शिकायत;

(vi) आपराधिक कार्यवाही को प्रारंभिक चरण में बाधित नहीं किया जाना चाहिए।

(vii) किसी शिकायत/एफ. आई. आर. को रद्द करना एक सामान्य नियम की तुलना में एक अपवाद और दुर्लभता होनी चाहिए।

viii) आम तौर पर, अदालतों को पुलिस के अधिकार क्षेत्र को हड़पने से रोक दिया जाता है, क्योंकि राज्य के दो अंग गतिविधियों के दो विशिष्ट क्षेत्रों में काम करते हैं। हालाँकि, न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 द्वारा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने या उपरोक्त प्रक्रिया को रोकने के लिए मान्यता दी गई है।

ix) न्यायपालिका और पुलिस के कार्य पूरक हैं, परस्पर व्याप्त नहीं हैं।

x) अपवादात्मक मामलों को छोड़कर जहां गैर-हस्तक्षेप के परिणामस्वरूप न्याय की विफलता होगी, न्यायालय और न्यायिक प्रक्रिया को अपराधों की जांच के चरण में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

xi) न्यायालय की असाधारण और अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी मर्जी या सनक के अनुसार कार्य करने का मनमाना अधिकार क्षेत्र प्रदान नहीं करती हैं;

xii) प्रथम सूचना रिपोर्ट कोई विश्वकोश नहीं है जिसमें रिपोर्ट किए गए अपराध से संबंधित सभी तथ्य और विवरण बताए जाने चाहिए। इसलिए, जब पुलिस द्वारा जांच चल रही हो, तो अदालत को एफआईआर में लगाए गए आरोपों के गुण-दोष पर विचार नहीं करना चाहिए। पुलिस को जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अस्पष्ट तथ्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि शिकायत/एफआईआर जांच के योग्य नहीं है या यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। जांच के दौरान या बाद में, यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायतकर्ता द्वारा किए गए आवेदन में कोई तथ्य नहीं है, तो जांच अधिकारी विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष एक उचित रिपोर्ट/सारांश दाखिल कर सकता है, जिस पर विद्वान मजिस्ट्रेट ज्ञात प्रक्रिया के अनुसार विचार कर सकते हैं।

xiii) धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शक्ति बहुत व्यापक है, लेकिन व्यापक शक्ति प्रदान करने के लिए अदालत को सतर्क रहने की आवश्यकता है। यह अदालत पर एक कठिन और अधिक मेहनती कर्तव्य डालता है।

xiv) तथापि, साथ ही, यदि न्यायालय उचित समझे, तो उसे निरस्तीकरण के मापदंडों तथा कानून द्वारा लगाए गए आत्मसंयम, विशेष रूप से आर.पी. कपूर (उपर्युक्त) तथा भजन लाल (उपर्युक्त) के मामलों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों को ध्यान में रखते हुए एफआईआर/शिकायत को निरस्त करने का अधिकार है; तथा xv) जब कथित अभियुक्त द्वारा एफआईआर निरस्तीकरण के लिए प्रार्थना की जाती है, तो न्यायालय को, जब वह धारा 482 सीआरपीसी के तहत शक्ति का प्रयोग करता है, केवल इस बात पर विचार करना होता है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप संज्ञेय अपराध के होने का खुलासा करते हैं या

नहीं तथा उसे इस बात पर विचार करने की आवश्यकता नहीं होती है कि आरोप संज्ञेय अपराध बनाते हैं या नहीं तथा न्यायालय को जांच एजेंसी/पुलिस को एफआईआर में लगाए गए आरोपों की जांच करने की अनुमति देनी होती है। ”

9. उपरोक्त तथ्यात्मक और कानूनी चर्चाओं को ध्यान में रखते हुए और इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि वर्तमान आपराधिक मामला विशुद्ध रूप से मेसर्स एयरटेल प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त किराए से संबंधित विवाद के कारण दर्ज किया गया था, जिसमें बगल के भूखंड धारक होने के कारण परेशान करने का कारण था, जहां विद्वान निचली अदालत ने कंपनी के खिलाफ संज्ञान भी नहीं लिया था, तदनुसार, **उषा चक्रवर्ती मामला (उपर्युक्त)** में उल्लिखित दिशानिर्देशों पर ध्यान देते हुए 2013 के शिकायत मामला संख्या 87 (सी), परीक्षण संख्या 13/15, विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी के समक्ष लंबित, में पारित की गई अपनी सभी परिणामी कार्यवाहियों के साथ दिनांक 03.06.2014 के आदेश को निरस्त कर दिया जाता है जो शिकायत वाद सं० 87 (सी) 2013 ट्रायल सं० 13/15 न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, भोजपुर में लंबित है।

10. आवेदन स्वीकृत किया जाता है।

11. निर्णय की प्रति विद्वान निचली अदालत को तुरंत तुरंत भेजें।

(चंद्र शेखर झा, न्यायाधीश)

एस. त्रिपाठी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।